म0प्र0 शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांकः एफ 57–14/08/20–2 (A) भोपाल,दिनांक18.07.2008

आदेश

मध्यप्रदेश जनशिक्षा अधिनियम 2002 की धारा 29 के अनुसार 5 से 14 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके तहत राज्य सरकार 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर, प्रायमरी शिक्षा सुविधा और 3 किलोमीटर की परिधि के भीतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराती है।

2. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा सुविधा के लोकव्यापीकरण एवं वर्तमान नीति को न्यायसंगत बनाने और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा उनके निवास के एक किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की वर्तमान नीति को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अब प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड़ निर्धारित किए जाते हैं–

3.1 ऐसी ग्राम/बसाहट जिनके एक किलोमीटर की परिधि में 5 से 11 वर्ष के शासकीय शाला में अध्ययन हेतु इच्छुक 40 बच्चे होने पर एवं बसाहट के एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर उस स्थान पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

3.2 ऐसी बसाहटें जहाँ एक कि0मी0 की परिधि में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा 5–9 वर्ष के शासकीय शाला में अध्ययन हेतु इच्छुक न्यूनतम् 10 बच्चे उपलब्ध हैं, वहाँ कक्षा 1–3 के लिए सैटेलाइट स्कूल के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। ये सैटेलाइट शालाएं एकल शिक्षकीय होंगी तथा नजदीकी प्राथमिक शाला से संबद्ध रहेंगी। सैटेलाइट स्कूल में दर्ज बच्चे बड़े होने पर कक्षा 4 एवं 5 की पढ़ाई मुख्य प्राथमिक शाला में करेंगे।

4. प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की नीति संबंधी पूर्व में जारी समस्त आदेश उक्त आदेश जारी होने की दिनांक से अधिक्रमित माने जाएगें।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
18/7/08

(एम.के दाण्डे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांकः एफ 57—14 / 08 / 20—2(A) भोपाल,दिनांक 18.07.2008

प्रतिलिपि —

1. निज सहायक,माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी,स्कूल शिक्षा विभाग,म.प्र.,भोपाल.

2. मुख्य सचिव, के स्टॉफ आफीसर ,मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय,भोपाल.

3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,भोपाल.

4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल.

5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल.

6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर / भोपाल

7. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल.

8. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल.

9. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.

10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

11. समस्त जिला परियोजना समन्वयक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

18/7/08

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग